न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं. ::: 49/2016

सरकार बनाम रघुवीर पुत्र घडसीराम जाति माली निवासी हजुताराम की ढाणी तन लाम्बा गोठड़ा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 26.05.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रघुवीर पुत्र घडसीराम जाति माली निवासी हजुताराम की ढाणी तन लाम्बा गोठड़ा द्वारा भूमि ख.नं. 508 रकबा 2.31 हैक्टे किस्म गै.मु.जोहड़ में से 0.03 हैक्टे. पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित। गैर सालय ने जबाब पेश किया कि मैने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। बल्कि मेरे पिता ने आज से करीब 50 वर्ष पहले अपने पशुओं को बाधने के लिए छडियों की बाड की थी व पशुओ को सर्दी से बचाने के लिए छप्पर बनाये थे। पक्के मकानात मेरी खातेदारी में स्थित है। रिपोर्ट पटवारी गलत है। इस पर रिपोर्ट पटवारी की जॉच भू.अ.निरीक्षक बख्तावरपुरा द्वारा करवायी गई। जिसके अनुसार गैर सायल द्वारा गै.मु.जोहड़ भूमि ख.नं. 508 रकबा 2.21 हैक्टे. में मौके पर पशु हेतु कच्चा – पक्का ढारा व छप्पर बना रखा है। तथा कुरडी वगैरह डाल रखी है। पक्के मकान खातेदारी भूमि ख.नं. 561 रकबा 0.38 हैक्टे में जो सुमन पत्नी रघुवीर जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है में बना रखे है। गैर सालय द्वारा लगभग 0.10 हैक्टे. किस्म गै.मु. जोहड़ पर अतिक्रमण कर रखा है तथा पडत, पशु, ढारा, कच्ची छान व पशु बांधने के रूप में काम ले रहा है।

निर्णय हेतु पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी तथा जॉच रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक एवं गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया गया। अतः रिपोर्ट पटवारी आंशिक रूप से सही है। गैर सायल को भूमि ख.नं. 508 रकबा 2.31 हैक्टे. किस्म गै.मु.जोहड़ भूमि में 0.10 हैक्टे. पर पडत, पशु ढारा, कच्ची छान व पशु शेड बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी पाया जाता है। अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। साथ ही प्रश्नगत भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आंशिक सही मानते हुए गैर सायल को 0.10 हैक्टे. विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 2 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
तहसीलदार चिड़ावा

तहसीलदार चिड़ावा
जिला–झुन्झुनूं

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चिड़ावा (झुन्झुनूं)

33
1716 2